तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेंन सहायक कलेक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) — हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज — प्रा.पत्र 28/2021 मेहरु वि. लेहरी	नम्बर अहकाम हुक्म में
27/5/21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पदरिक्त~~ Covid-19 पूर्व का स्थगन आदेश यथावत रहेगा। अतः पत्रावली दिनांक 8/6/21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा	
8/6/21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पदरिक्त है~~ Covid-19 पूर्व का स्थगन आदेश यथावत रहेगा। अतः पत्रावली दिनांक 27/7/21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा	
27/7/21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पदरिक्त है~~ अतः पत्रावली दिनांक 2/8/21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा	
2/8/21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण में आदेशिका दिनांक 16/3/2021 की पालना Covid-19 के कारण प्राप्त नहीं होने से प्रकरण पुनः बहस हेतु दिनांक 10/8/2021 को पेश हो तब तक पूर्व का स्थगन आदेश यथावत रहेगा उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	
10/8/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 6 व विपक्षी सं. 7 से 16 के अधिवक्ता उपस्थित [illegible] बहस सुनी गई बहस के दौरान [illegible] प्रार्थना-पत्र के तथ्य [illegible] जोधा के पांच व सभी का 1/5 हिस्सा [illegible] जोधा के एक कालु के ना औलाद फोत हो जाने से उसका हिस्सा रेवता ने नामान्तकरण संख्या 151 में उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) — हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज — प्रा० पत्र 28/2021 गोकुल v/s लेहरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपने को गलत तरीके से गोद पुत्र बताते हुऐ राजस्व कर्मचारियो की मिली भगत से खुलवाया जबकि कालु की मृत्यु के समय रेवता ना० बालिग होकर मात्र 5-6 वर्ष का था। जबकि कालु की समस्त सेवा-चाकरी गंगाराम ने की तथा उसके सभी सामाजिक कार्यक्रम भी गंगाराम ने ही किया इसलिए कालु के हिस्से पर गंगाराम का अधिकार है। वर्तमान मे गंगाराम के वारिस ही उस पर काबीज होकर उपयोग-उपभोग कर रहे है। प्रकरण मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ता वाद स्थाई किया जावे की इस्तदुआ की विपक्षी से. 1 से 06 के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान जवाब प्रा० पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा बहस के दौरान बताया कि प्रा० पत्र मे न तो कालु का कोई उल्लेख नही किया केवल गंगाराम का ही उल्लेख किया अगर फर्जी इंतकाल खुलवाया गया तो गंगाराम के अन्य भाइयो को पक्षकार नही बनाया गया। रेवता की आयु के संबध मे कोई दस्तावेज प्रा०पत्र मे नही लगाया गया कालु की माँ तथा भाईयो के कोई शपथपत्र भी पेश नही किये गये 1991 के नामान्तकरण को 2021 मे चुनौती नही दी जा सकती है। यह बाद मियाद है। तथा मेरे मुवक्किल रेकोर्डेड खातेदार है। इसलिए इनके विरुद्ध एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नही होने से प्रकरण मे जारी [illegible] एक पक्षीय अस्थाई [illegible] का निवेदन किया मैने पत्रावली मे उप[illegible] वकील विपक्षी से. 1 से 06 के जवाब, प्रा० पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर चिंतन मनन किया बहस मे	

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रा०पत्र 28/2021 गेहरु v/s लेहरी	नम्बर अहका हुक्म में
	दौरान न्यायालय मे उपस्थित कालु की माँ तथा भाईयो ने आवेदक प्रार्थी के कथन की कालु की सेवा चाकरी उसके भाई गंगाराम ने की तथा समस्त सामाजिक कार्यक्रम का खर्चा गंगाराम ने ही किया तथा वर्तमान मे गंगाराम के सभी वारिस ही कालु के हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज है। जिसका भी प्रतिवादी सं. 7 से 16 के आवेदकों ने भी विरोध नही किया व प्रार्थी गण के हक मे सहमति जाहिर की एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगणो के पक्ष मे होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाया जाता है। **<u>आदेश</u>** अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा तारीफैसल वाद तक स्थाई की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तथा पत्रावली मूलवाद के साथ संलग्न हो। [initials] उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner